

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- उमर दीन खान
आई.ए.एस.

संख्या 41/2019

श्री रहीम बक्स खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी सोती, तहसील व जिला झुंझुनू।

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

— रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 07.09.2018 द्वारा अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनू उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्री रहीम बक्स खां मु.नं. 21/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

1. श्री तैयुब हुसैन, एडवोकेट- अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय- अभिभाषक रेस्पोजेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.02.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनू के निर्णय दिनांक 07.09.2018 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 व प्रा0प0 स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपील के अंतर्गत इस प्रकार है कि अपीलान्त प्रार्थी को ग्राम सोती स्थित भूमि ख0न0 257 कुल रकबा 0.46 है0 जिनमें से 0.12 है0 पर अतिक्रमी मानते हुए अपीलान्त को वर्तमान प्रकरण संख्या 21/2018 पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार महोदय झुंझुनू द्वारा गलत नोटिस जारी किया गया है क्योंकि अपीलान्त के पिता रहीम खां पूर्व में प्रकरण को श्रीमान जी द्वारा निस्तारित किया गया था उक्त प्रकरण में माननीय तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी गिरदावर हल्का के आधार पर तथा अपीलान्त के पिता रहीम खां द्वारा प्रस्तुत किये गये गिरदावर व श्रीमानजी के कार्यालय द्वारा अपीलान्त के पक्ष में नियमन की कार्यवाही कर नियमानुसार अपीलान्त के पिता से शुल्क लेकर पट्टा सं. 16 दिनांकित 02.06.1977 रहीम खां के हक में जारी किया गया है अपीलान्त के पिता के हक में जारी किये गये पट्टा के आधार पर अपीलान्त के पिता व अपीलान्त के पिता के विरुद्ध सन् 1977 में अपीलान्त के पिता के विरुद्ध कार्यवाही इस आधार पर ड्रॉप की गई थी तथा उक्त अपीलान्त के पिता को सरकार बनाम रहीम खां में उसके पुराने कब्जे के आधार पर नियमन की कार्यवाही की गई थी तथा उक्त नियमन के तहत अपीलान्त के पक्ष में जारी पट्टा सं.16 दिनांकित 02.06.1977 के आधार पर तथा बाद पटवारी हल्का की रिपोर्ट, गिरदावर हल्का की जांच रिपोर्ट व गवाहन रिपोर्ट के आधार निर्धारित शुल्क लेकर 450 वर्गगज भूमि का निःशुल्क पट्टा फीस 5/- रुपये की राशि लेकर तहसीलदार झुंझुनू द्वारा उक्त पट्टा फीस 5/- रुपये की राशि लेकर तहसीलदार झुंझुनू द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार से उक्त प्रकरण में विबन्ध का सिद्धान्त लागू होता है। न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिये गये नोटिस में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी कानूनन अपीलान्त ने नहीं कर रखा है बल्कि अपीलान्त बाकायदा तहसीलदार की नियमानुसार अपीलान्त के पिता के पक्ष में जारी पट्टे शुदा भूमि पर अपने पिता के हक में पिछले 70 वर्षों से अपने पूर्वजों के समय से पीढ़ी दर पीढ़ी रिहायश करता आ रहा है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की गई है जिसके आधार पर अपीलान्त के पिता के हक में जारी किया गया है पूर्व में दिये गये नोटिस व उनकी कार्यवाही ड्रॉप किये जाने व पट्टा जारी करने के कारण उक्त प्रकरण पर विबन्ध का सिद्धान्त लागू होता है। आदि तथ्यों पर गौर नहीं

जिला कलक्टर झुंझुनू

का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं ने निर्णय दिनांक 07.09.2018 को पारित कर दिया। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भूमि ख.नं. 257 रकबा 0.46 हैक्टर में से 0.12 हैक्टर भूमि अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध गलत दी है व गलत रिपोर्ट के आधार पर अदालत द्वारा अपीलान्त को गलत नोटिस दिया गया है इस पर गौर नहीं किया है। अपीलान्त रसीद में एक पुराना रिहायशी मकान मय चार दीवारी ग्राम सोती तहसील व जिला झुंझुनूं में बनाकर उसमें पिछले 50 वर्षों से आबाद है तथा उससे पूर्व उसके पिता भी काफी वर्षों पूर्व से उक्त भूमि पर रिहायशी मकान रहे हैं अपीलान्त के पास ग्राम सोती में उक्त मकान के अलावा अन्य कोई रिहायशी भूमि नहीं है उक्त रिहायशी मकान में अपीलान्त व उसके पूर्वज पिछले 70 वर्षों से रहते आ रहे हैं जिसके बाबत उक्त भूमि में माननीय तहसीलदार महोदय झुंझुनूं पूर्व में भी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस अपीलान्त के पिता रहीम खां को दिया गया था जिसमें अपीलान्त के पिता द्वारा मकान का आबाद होना लिखा था उक्त नोटिस का जबाब अपीलान्त के पिता द्वारा दिया गया था तथा उक्त नोटिस के साथ साथ गांव के मौजीज व्यक्तियों के बयानात भी लेखबद्ध किये गये थे जो कि उक्त पत्रावली तहसीलदार सरकार बनाम रहीम खां न्यायालय की पत्रावली में शामिल किये गये जो अभिलेखागार में उक्त नोटिस है। उक्त पत्रावली में बयानात व पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व सिफारिश नायब तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा अपीलान्त के पिता के हक में पुराने खसरा नं. 46 में 450 वर्गगज भूमि का अपीलान्त के पिता के पक्ष में किया गया था जिसमें पट्टा फीस शुल्क 5 रुपये इस प्रकार ली गयी अपीलान्त के हक में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया जिसके पट्टा सं. 16 दिनांकित 02.06.2018 को माननीय तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा जारी किया गया। इस प्रकार से भूमि गत खसरा नं. 46 व हाल खसरा नं. 257 पर अपीलान्त द्वारा किसी प्रकार का कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं किया गया है बल्कि तहसीलदार झुंझुनूं जारी पट्टे शुदा भूमि पर ही अपीलान्त पुख्ता मकानात बनाकर अपने परिवार सहित वही दर पीढी आबाद चला आ रहा है। अपीलान्त का उक्त मकान चारों तरफ गांव की आबादी से घिरा हुआ है जिस-पास काफी रिहायशी घर हैं व अधिकांश गांव वहां बसा हुआ है। अपीलान्त अपने परिवार सहित अपने उक्त रिहायशी घर में आबाद है तथा उनका काफी पुराना विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन व टेलीफोन कनेक्शन भी उनके उक्त रिहायशी घर में लगा हुआ है। अपीलान्त को यदि नोटिस कर दिया गया तो वह परिवार सहित व पशुधन सहित बेघरबार हो जायेगी उसके पास रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तथा उसको ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है। तहसीलदार सरकार के द्वारा प्रतिस्थापित परिपत्र संख्या प. 6(10) राज./गुप 4/74 दिनांक 23.01.74 द्वारा जारी अधिसूचना समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय चक एवं अन्य गैर मु. राजस्व भूमियों पर दिनांक 31.12.1974 में पूर्व आवास गृह व जानवरों के बाड़े बनाकर किये जा रहे भू-उपयोग के लिए रहने हेतु मकान का निर्माण या बाड़ा बनाकर भूमि रूपान्तरण हो तो उनके मामले में निःशुल्क नियमन किये जाकर उनके हक में नोटिस जारी कर दे दिये जावे, को आदेश किये जा चुके हैं, उक्त अधिसूचनाएं समय समय पर जारी होती हैं। उक्त अधिसूचनाओं के आधार पर तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा अपीलान्त के पिता के हक में नियमन की कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया था जिस पर पूर्व में अपीलान्त का विधिक रूप से कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्त की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त को सुनवाई, साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि निर्णय पारित करने से पूर्व दोनों पक्ष को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जावे। अपीलान्त के विरुद्ध हुये निर्णय की अपीलान्त को दिनांक 04.05.2019 को पटवारी हल्का द्वारा घर जाकर कब्जा हटाने के लिए कहा गया अपीलान्त ने दिनांक 08.05.2019 को नकल लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अपीलान्त को दिनांक 13.05.2019 को नकल प्राप्त हो गई। उक्त निर्णय की नकल पढ़ने पर निर्णय की जानकारी हुई। उक्त निर्णय के रोज से अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील अपीलान्त पेशकर निवेदन है कि अपीलान्त की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 07.09.2018 को पारित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त समय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में उक्त नोटिस की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्त को अदालत मातहत के निर्णय की अपीलान्त को पटवारी हल्का द्वारा घर जाकर कब्जा हटाने की बात कहने पर निर्णय की नकल ली गई, जो अपीलान्त को दिनांक 13.05.2019 प्राप्त होने पर हुई। जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपीलान्त को सोती स्थित भूमि ख0न0 257 कुल रकबा 0.46 है0 किस्म गै0मु0 जोहड मे से 0.12 है0 पर कब्जा किया गया है। विवादित आराजी की बाबत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा पूर्व में सन् 1977 में पुराना कब्जा

दिनांक 13.05.2019

कार्यवाही करते हुये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दी थी। वर्तमान में भी अपीलान्त अपने पट्टे की भूमि पर काबिज है, फिर भी अदालत ने जानान प्रकरण में अपीलान्त को अतिक्रमी माना है। प्रकरण में विबन्ध का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलान्त का पट्टा 450 वर्गगज का जारी किया है। अदालत मातहत ने भी अपने आदेश में माना है कि अपीलान्त अपने पट्टे शुदा भूमि पर ही कब्जा है इसके अलावा अपीलान्त ने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। सरकार के द्वारा प्रतिस्थापित परिपत्र संख्या प. 6(10) राज./गुप 4/74 दिनांक 23.01.1974 जारी अधिसूचना समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय चक एवं अन्य गैर मु. राजस्व भूमियों पर दिनांक 31.03.1974 से पूर्व आवास गृह व जानवरों के बाड़े बनाकर किये जा रहे भू-उपयोग के लिए रहने हेतु मकान निर्माण या बाड़ा बनाकर भूमि का रूपान्तरण हो तो उनके मामले में निःशुल्क नियमन किये जाकर हक में मालिकाना हक दे दिये जावे, का आदेश किये जा चुके हैं। साथ ही विद्वान अभिभाषक ने उक्त के दौरान नजीर (2006)1 डी.एन.जे. 164 हुकम सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की ओर ध्यान दिलाते हुये कथन किया कि नजीर के अनुसार The powers under Section 91 of the Act of 1956 are exercised only against the trespassers. The petitioners being in possession of the land in dispute and the pattas issued by the Gram Panchayat cannot be held trespassers. As such the proceedings initiated under Section 91 of the Act of 1956 are absolutely without jurisdiction. अपीलान्त पट्टाधारी है पट्टाधारी व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती। अदालत मातहत ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुये आदेश पारित किया है जो विरुद्ध है। उक्त भूमि में अपीलान्त अपने पूर्वजों के समय से आबाद है। उक्त भूमि में अपीलान्त ने दिनांक 03.09.1982 से विद्युत कनेक्शन है। अपीलान्त द्वारा उक्त भूमि का नियमानुसार सरकार को किराया जाकर पट्टा अपने हक में लिया हुआ है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थी के हक में दिनांक 07.09.2018 को निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की भूमि को किस्म गै0मु0जोहड़ की भूमि है जो राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलान्त ने पुख्ता आवासीय गृह बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जिसका अपीलान्त को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलान्त मातहत में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहा है, इसलिए उसे उक्त निर्णय की जानकारी प्रारम्भ से ही अपीलान्त ने दिन-प्रतिदिन की देरी का कोई कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्त मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के बाद ही निर्णय पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अपील की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्त की अपील खारिज फरमाई जावे। अपील का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है यथा :-

अपीलान्त ने अपील लगभग 8 माह बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, इसकी बाबत अपीलान्त का तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत के यहां पत्रावली साक्ष्य सबूत हेतु पेशी में थी, तत्पश्चात अपीलान्त को अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 07.09.2018 की जानकारी नहीं दी गई। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर अतिक्रमण हटाने हेतु जाने पर अपीलान्त को आदेश की जानकारी हुई। अपीलान्त अदालत मातहत के यहां जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहा है। जिससे यह तथ्य तो साफ है कि उसे उक्त आदेश की जानकारी रही है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु के बजाय गुणावगुण तथा पक्षकारों की पूर्ण सुनवाई के बाद किया जाना न्यायोचित है। उक्त अपीलान्त की अपील को अन्दर मियाद मानते हुये की गई देरी को कन्डोन किया जाता है।

अदालत मातहत ने अपीलान्त को गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमी माना है, जिसके संबंध में अपीलान्त का कथन यह रहा है कि अपीलान्त अपनी पट्टे शुदा भूमि पर काबिज है तथा अपनी पट्टे की भूमि के अलावा उसके द्वारा अन्य कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अदालत मातहत ने अपने आदेश में माना है कि अपीलान्त अपने पट्टेशुदा भूमि पर काबिज है जिससे अपीलान्त के कथनों की पुष्टि होती है। अपीलान्त को तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पट्टा संख्या 16 दिनांकित 02.06.1974 जारी किया हुआ है। उक्त विवादित आराजी की बाबत अपीलान्त के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण पर कार्यवाही समाप्त की गई थी। इस

बिला कलक्टर झुंझुनू

जब पट्टे के आधार पर कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है तो उसी पट्टे की भूमि पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वर्तमान में अतिक्रमी किस आधार पर माना है, अतिक्रमी द्वारा क्या अधिकारों पर कब्जा है? इसकी जांच किये जाने का तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है। जिसका परीक्षण किया जाना अपेक्षित है।


अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतिस्थापित परिपत्र संख्या प. 6(10) दिनांक 4/74 दिनांक 23.01.1974 द्वारा जारी अधिसूचना समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय चक के अन्य गैर मु. राजस्व भूमियों पर दिनांक 31.12.1970 से पूर्व आवास गृह व जानवरों के बाड़े बनाने किये जा रहे भू-उपयोग के लिए रहने हेतु मकान का निर्माण या बाड़ा बनाकर भूमि का उपयोग हो तो उनके मामले में निःशुल्क नियमन किये जाकर उनके हक में मालिकाना हक दे दिए जाने का आदेश किये जा चुके हैं। उक्त अधिसूचना की रोशनी में भी प्रकरण का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह तथ्य तो साफ है कि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर 50 वर्ग फीट आवासीय मकान बनाकर आबाद है तथा वह सन् 1983 से पट्टाधारी है। अपीलान्ट द्वारा उक्त नजीर (2006)1 डी.एन.जे. 164 हुकम सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के अनुसार The trespassers under Section 91 of the Act of 1956 can be exercised only against the trespassers. The trespassers being in possession of the land in dispute in view of the pattas issued by the Gram Panchayat cannot be held trespassers. As such the proceedings initiated under Section 91 of the Act of 1956 are absolutely without jurisdiction. उक्त नजीर के अनुसार पट्टाधारी व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इस तथ्य की जांच अपेक्षित है।

उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जानी उचित प्रतीत होती है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2018 के अनुसार किया जाता है तथा प्रकरण निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है अदालत मातहत मौके की जांच करवाये, अपीलान्ट के कब्जे तथा पट्टे की भूमि का मिलान कर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन आदेश को बख्त अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत मय निर्णय की जांच अपेक्षित हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


22/02/21
(सिमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू